सं०सं०–1/एस०के०कॉ०–02/2017– 118(1)स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक– 19/03/2018

विषयः– **श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड–20–2210051050008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 2,68,00,000/– (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–60/18, दिनांक–06.01.2018 के आलोक में श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड–20–2210051050008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 2,68,00,000/– (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक–17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक–12.04.06, 2398/वि०(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0008– श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड–20–2210051050008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

क्रमशः

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जाएगी।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/एस0के0कॉ0–02/2017–118(1)/स्वा०, पटना, दिनांक–19/03/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड–20–2210051050008, को वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0008.01.01 वेतन	89570000	12000000	101570000	89570000	12000000	101570000	0
0008.01.03 जीवन यापन भत्ता	105373000	5000000	110373000	105373000	5000000	110373000	0
0008.01.04 मकान किराया भत्ता	15150000	2000000	17150000	15150000	2000000	17150000	0
0008.01.06 चिकित्सा भत्ता	3890000	600000	4490000	3890000	600000	4490000	0
0008.01.07 अन्य भत्ता	25000	400000	425000	25000	400000	425000	0
योग– वेतन एवं भत्ते	**214008000**	**20000000**	**234008000**	**214008000**	**20000000**	**234008000**	**0**
0008.11.01 यात्रा व्यय	1000	300000	301000	1000	300000	301000	0
0008.13.01 कार्यालय व्यय	10000000	3500000	13500000	10000000	3500000	13500000	0
0008.21.02 दवा भण्डार	1000000	3000000	4000000	1000000	3000000	4000000	0
कुल योग :–	**225009000**	**26800000**	**251809000**	**225009000**	**26800000**	**251809000**	**0**

(रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख)

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

118(1) का०
19-03-2018